कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्याः प्राशिप/परिषद संस्थाद्वारा/2019/1132 लखनऊः दिनांकः 16-9-2019

—कार्यालय ज्ञाप—

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर्प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2019 को आयोजित प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर्प्रदेश लखनऊ की आपत्ति से परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु प्राविधिक नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/नयी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के क्रम-5 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रवेश एवं पाठ्यक्रम समिति द्वारा निम्न नियमावली के अधीन निम्न नियम निर्धारित किया गया :—

एआईसीटीई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक–2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाओं के सम्बंध में समिति द्वारा विस्तार नियमों किया गया और कार्यवाहीपूर्ति से संलग्नक–2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019–20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संपूर्ति सत्र 2018–20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पीक्लासिफाईड अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही दी जाएगी।

उक्त निम्नानुसार समाविष्ट संस्था को परिषद की पैरोकिता समिति एवं डिप्लोमा–डिग्रीफार्मेसी द्वारा की गयी सम्पूर्ति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अधीन पत्र प्राविधिक शिक्षा परिषद, एस-30 जानपथ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :—

क्रम संख्या	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीई/पीक्लासिफाईड द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश संख्या	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	2762	वरुणार्जुन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बंथरा, शाहजहांपुर	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था एआईसीटीई0/पीक्लासिफाईड द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992 तथा समय समय पर निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क नियंत्रण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30,100.00/- प्रतिवर्ष से अधिक फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45,600.00/- प्रतिवर्ष एवं दो वर्ष के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम (जो त्रिवर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0- 22,900.00 प्रतिवर्ष शुल्क की धनराशि छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और पाठ्यक्रम फार्मेसी किस्म संस्था आवासीय होगा। जिस निर्धारण समिति द्वारा वर्ष सत्र 2019-20 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, वो फीस ही पाठ्यक्रम पर लागू होगी।

- छात्र आवासीय होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- संस्था को (उच्चतर प्राविधिक शिक्षा अधिनियम तथा उस अधिनियम, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- संस्था से संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्हतिक शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में शासन प्रवेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- संस्था को एआईसीटीई0/पीक्लासिफाईड में आपत्ति रहत हेतु अनुपालन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- संस्था उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा संस्थाओं (एवं संस्था कर्मचारी/शिक्षकों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर्प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर्प्रदेश तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर्प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बध्य होगी)।
- डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संस्था में समस्त छात्रसंख्यिक संख्या को हीरा और विदेश कर से फिरी की कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा शिक्षण उत्तर प्रदेश शासन को कोई भार वहन किया जायेगा एवं न ही न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की संस्था को सुरक्षा दिये जाने के संबंध में कोई आदेश निर्गत किया है तो समस्त प्रतिपूर्ति व्यवस्था संस्था को करनी होगी।
- डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पीक्लासिफाईड के अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन कराना आवश्यक होगा।
- संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, छात्र-छात्रा उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- संस्था को विज्ञापन-परिक्षण हेतु उपर्युक्त मानकरण उपलब्ध कराने के साथ ऐसीट रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रशासनिक/अकादमिक पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध समस्त भवन भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन से प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि अन्य उपयोग का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सिंह)
सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद संस्थाद्वारा/2019/ 1972-3141 दि0 दिनांक: 16-09-2019

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, वरुणार्जुन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बंथरा, शाहजहांपुर।

(सह कार्यालय सिंह)
सचिव

- संस्था को (उच्चतर प्राविधिक शिक्षा अधिनियम तथा उस अधिनियम, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- संस्था से संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्हतिक शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में शासन प्रवेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- संस्था को एआईसीटीई0/पीक्लासिफाईड में आपत्ति रहत हेतु अनुपालन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- संस्था उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा संस्थाओं (एवं संस्था कर्मचारी/शिक्षकों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर्प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर्प्रदेश तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर्प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बध्य होगी)।
- डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संस्था में समस्त छात्रसंख्यिक संख्या को हीरा और विदेश कर से फिरी की कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा शिक्षण उत्तर प्रदेश शासन को कोई भार वहन किया जायेगा एवं न ही न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की संस्था को सुरक्षा दिये जाने के संबंध में कोई आदेश निर्गत किया है तो समस्त प्रतिपूर्ति व्यवस्था संस्था को करनी होगी।
- डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पीक्लासिफाईड के अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन कराना आवश्यक होगा।
- संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, छात्र-छात्रा उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- संस्था को विज्ञापन-परिक्षण हेतु उपर्युक्त मानकरण उपलब्ध कराने के साथ ऐसीट रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रशासनिक/अकादमिक पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध समस्त भवन भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन से प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि अन्य उपयोग का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सिंह)
सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद संस्थाद्वारा/2019/1132-3202 दि0 दिनांक: 16-9-2019

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, वरुणार्जुन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बंथरा, शाहजहांपुर।

(सह कार्यालय सिंह)
सचिव

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविशिपरिषद सम्बद्धता/2021/3537 लखनऊ: दिनांक: 09/08/202

—कार्यालय ज्ञाप—

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर्प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 05/08/2021 को आयोजित प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर्प्रदेश लखनऊ की आपत्ति से परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्राविधिक नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/नयी हेतु सत्र 2021-22 हेतु प्राविधिक नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/नयी आदि हेतु सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के क्रम-5 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रवेश एवं पाठ्यक्रम समिति द्वारा निम्न नियमावली के अधीन निम्न नियम निर्धारित किया गया :—

"डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संस्था में समस्त छात्रसंख्यिक संख्या को हीरा और विदेश कर से फिरी की कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा शिक्षण उत्तर प्रदेश शासन को कोई भार वहन किया जायेगा एवं न ही न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की संस्था को सुरक्षा दिये जाने के संबंध में कोई आदेश निर्गत किया है तो समस्त प्रतिपूर्ति व्यवस्था संस्था को करनी होगी।"

उक्त निम्नानुसार समाविष्ट संस्था को परिषद की पैरोकिता समिति एवं डिप्लोमा–डिग्रीफार्मेसी द्वारा की गयी सम्पूर्ति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अधीन पत्र प्राविधिक शिक्षा परिषद, एस-30 जानपथ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :—

क्रम संख्या	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीई/पीक्लासिफाईड द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश संख्या	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	2762	वरुणार्जुन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बंथरा, शाहजहांपुर।	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था एआईसीटीई0/पीक्लासिफाईड/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, शैक्षिकत्र विनियमावली-2021 तथा समय विशेष नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क नियंत्रण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30100.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45600.00/- प्रतिवर्ष एवं तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22900.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही सम्बन्ध छात्रछात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, अ पूर्णतः फार्मेसी किस्म छात्र आवासीय होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- संस्था को (उच्चतर प्राविधिक शिक्षा अधिनियम तथा उस अधिनियम, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- संस्था से संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्हतिक शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में प्रवेश प्रवेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- संस्था को एआईसीटीई0/पीक्लासिफाईड में आपत्ति रहत हेतु अनुपालन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर निर्गत नियमावली/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर्प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर्प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बध्य होगी।
- डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संस्था में समस्त छात्रसंख्यिक संख्या को हीरा और विदेश कर से फिरी की कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा शिक्षण उत्तर प्रदेश शासन को कोई भार वहन किया जायेगा एवं न ही न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की संस्था को सुरक्षा दिये जाने के संबंध में कोई आदेश निर्गत किया है तो समस्त प्रतिपूर्ति व्यवस्था संस्था को करनी होगी।
- संस्था को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्हतिक शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में प्रवेश प्रवेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- संस्था को एआईसीटीई0/पीक्लासिफाईड में आपत्ति रहत हेतु अनुपालन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर निर्गत नियमावली/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर्प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर्प्रदेश तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर्प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बध्य होगी।
- संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, छात्र-छात्रा उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- संस्था को विज्ञापन-परिक्षण हेतु उपर्युक्त मानकरण उपलब्ध कराने के साथ ऐसीट रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रशासनिक/अकादमिक पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध समस्त भवन भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन से प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि अन्य उपयोग का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सिंह)
सचिव

पृ0सं0- प्राविशिपरिषद सम्बद्धता/2021/3538-4009 दिनांक: 09/08/202

प्रतिलिपि-
प्रधानाचार्य/निदेशक,VARUNARJUN COLLEGE OF PHARMACY, BANTHRA, SHAHJHANPUR

(सुनील कुमार सिंह)
सचिव